न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1135/2024
अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र बुधराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनील घिंटाला अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 3.2120 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम किरशन पुत्र बुधराम दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्ण पुत्र बुधराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड व राशनकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम मे भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का नाम सही दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी के नाम के सबंध में सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा भी तस्दीक पेश की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किरशन दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्ण है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम मे भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 3.2120 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किरशन दर्ज है जबकि वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम कृष्ण दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा भी वादी के नाम के सबंध में तस्दीक पेश की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर की तस्दीक के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं सरंपच ग्राम पंचायत टिडियासर की तस्दीक के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 3.2120 हैक्ट भूमि में **वादी का नाम किरशन पुत्र बुधराम के स्थान पर कृष्ण पुत्र बुधराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच किरशन पुत्र बुधराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का किरशन पुत्र बुधराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम किरशन पुत्र बुधराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1135 / 2024

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र बुधराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955 प्र0स0 1135 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 10/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 7 / 7 की कुल 3.2120 हैक्ट भूमि में **वादी का नाम किरशन पुत्र बुधराम के स्थान पर कृष्ण पुत्र बुधराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच किरशन पुत्र बुधराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का किरशन पुत्र बुधराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम किरशन पुत्र बुधराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 10/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested